Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 20/09/2018

File No. Tour Programme/12/VC/2018/RU-III

सेवा में,

1. कलेक्टर,
   जिला–छिंदवाड़ा,
   (मध्य प्रदेश)
2. कलेक्टर,
   जिला–सिवनी,
   (मध्य प्रदेश)
3. मुख्य वन संरक्षक/निदेशक,
   पेंच नेशनल पार्क सिवनी,
   जिला सिवनी (मध्य प्रदेश)
4. उप निदेशक,
   जिला मत्स्य विभाग,
   जिला सिवनी,
   (मध्य प्रदेश)
5. सहायक निदेशक,
   जिला मत्स्य विभाग
   जिला छिंदवाड़ा,
   (मध्य प्रदेश)

विषयः दिनांक 27–04–2018 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा तोतलाढोह जलाशय बांध से विस्थापित 305 मछुआरों को रोजगार दिलाने बाबत छिंदवाड़ा कलेक्टर के कार्यालय में कलेक्टर, छिंदवाड़ा, कलेक्टर, सिवनी, मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, सिवनी, उप निदेशक मत्स्य विभाग, सिवनी, सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर छिंदवाड़ा कलेक्टर के कार्यालय में दिनांक 27–04–2018 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।
2. श्री आशाराम उइके पूर्व अध्यक्ष विस्थापित जय बजरंग आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति गुमतरा, पोस्ट पाथरी तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाडा (मध्य प्रदेश)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

कार्यवाही/ सुनवाई का विवरण दिनॉक 27 अप्रैल 2018

स्थान : सभाकक्ष कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाडा

फाईल संख्या/एयू/7/2017/एसटीजीएमपी/डीओथ/आरयू–3/

अपीलकर्ता :– श्री आशराम उइके, अध्यक्ष,विस्थपित जय बजरंग आदिवासी मत्स्योद्योगसहकारी समिति गुमतरा (थुयेपानी) तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाडा एवं अन्य

विरूद्ध

अनावेदक :–
1– कलेक्टर छिन्दवाड़ा एवं सिवनी मध्यप्रदेश
2– सीसीएफ छिन्दवाड़ा एवं सिवनी एवं पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी,
3– अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग छिन्दवाड़ाएवं सिवनी।
4– निर्देशक / सहायक संचालक मत्स्य विभाग, मध्यप्रदेश,छिन्दवाड़ा सिवनी।

⊙⊙⊙⊙

आयोग को प्राप्त अपील के आधारप्रकरण आयोग में दर्ज कर नोटिस जारी करते हुए वस्तुस्थिति से आयोग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु जानकारी अप्राप्त होने पर सुनवाई प्रारंभ की गई। गत बैठक जो कि छिन्दवाडा विश्राम भवन में दिनॉक 28 फरवरी 2018 को आयोजित की गई थी, में दोंनों पक्षों को सुना गया किन्तु अनावेदक पक्ष द्वारा दस्तावेज एवं अपील के संबंध में समुचित दस्तावेजी तथ्य प्रस्तत नहीं किये जा सके। इसलिये आगामी सुनवाई में तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

दिनॉक 27 अप्रैल 2018 को कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभाकक्ष में सुनवाई प्रारंभ की गई। आवेदक एवं अनावेदक पक्ष उपस्थित हुए जिसकी सूची प्रथक से संलग्न है। परिशिष्ट "अ"।

प्रकरण के मुख्य तथ्य/ अपील के मुख्य बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं :–

1. आवेदकों अर्थात श्री आशराम उइके, अध्यक्ष विस्थपित जय बजरंग आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति गुमतरा (थुयेपानी) तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाडा एवं अन्य द्वारा आयोग में अपील प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि जिला छिन्दवाड़ा तहसील बिछुआ में तोतलाडोह जलाशय निर्माण के समय बड़ी संख्या में आदिवासी किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। शासन के नियामानुसार सभी भूमिस्वामियों का विस्थापन किया जाना चाहिए था,किन्तु उन्हें पर्याप्त भूमि और मुआवजा नहीं दिया गया है और जिनको मुआवजा और भूमि दी गई है उन्हें उस भूमि का कब्जा नहीं दिलाया गया है। कुछ किसानों की भूमि को दबंगों द्वारा हथिया लिया गया है और कुछ किसानों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि से बेदखल किया जा रहा है।

प्रकरण का परीक्षण बिन्दु कमांक एक

उपस्थित प्रभारी अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा एवं जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा मौखिक सूचित किया कि जलाशय निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र शासन स्तर से हुआ था, इसलिये भूमि अधिग्रहण के सभी दस्तावेज शासन स्तर पर उपलब्ध हैं।

संबंधित दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण की मूल फाईल में से सम्पूर्ण तथ्यों अर्थात जलाशय के लिये कितनी भूमि, किस–किस किसान की अधिग्रहित की गई, किस–किस किसान को कितना–कितना मुआवजा तथा भूमि के बदले कितनी–कितनी भूमि प्रदान की गई, कहॉ–कहॉ

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson

विस्थापित किया गया गया सम्पूर्ण विवरण के साथ अपना अभिमत सहित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

साथ ही दबंगों द्वारा विस्थापित किसानों को शासन द्वारा दी गई भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के संबंध में निर्देशित किया गया कि तत्काल परीक्षण कर अतिक्रमण करने वाले किसानों से विस्थापित की भूमि को मुक्त कराया जावे और वास्तविक भूमिस्वामी को भूमि का सीमांकन कर कब्जा एवं वैद्य दस्तावेज दिये जावें।

2. तोतलाडोह जलाशय निर्माण के लिये जिन जनजाति परिवारों की भूमि अधिग्रहित की गई थी उन्हें तोतलाडोह जलाशय से जीवन–यापन के लिये मछली पकड़ने और उसका बिक्रय करने की छूट प्रदान की गई थी किन्तु कालांतर में उक्त क्षेत्र पेंच टाईगर रिजर्व और मछली वन्य जीव घोषित होने की वजह से विस्थापितों की रोजी–रोटी का साधन समाप्त हो गया था।

आवेदकगणों ने इस संबंध में मा.सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया था। मा. न्यायालय ने निर्देश दिये थे कि मत्स्याखेट बंद करने तथा मत्स्याखेट के अधिकार का अधिग्रहणहोने के परिणामस्वरूप विस्थापितों को इसका मुआवजा प्रदान करे।

शासन द्वारा मात्र 138 किसानों को मत्स्याखेट के अधिकार का अधिग्रहण होने के कारण 308 किसानों को मुआवजा मिलना था जबकि 138 किसनाों को ही मुआवजा दिया गया। यह आदेश जिस आधार पर किया गया वे इससे सहमत नहीं हैं।

प्रकरण का परीक्षण बिन्दु क्रमांक दो

यह तथ्य स्पष्ट है किपेंच टाईगर रिजर्व घोषित होने तथा मछली वन्य जीव घोषित होने के कारण मत्स्याखेट के अधिकार का वन विभाग एवं शासन द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया जिससे विस्थापितों की रोजी–रोटी का साधन समाप्त हो गया था। परिणामस्वरूप आवेदकों ने माननीय न्यायालय में अपील की थी जहॉ से उन्हें मुआवजा प्राप्त करने का अनुतोष प्राप्त हुआ था।

सर्वेक्षण के आधार पर शासन द्वारा न्यायालय में 305 किसानों की सूची प्रस्तुत की थी जिनके मत्याखेट के अधिकार का अधिग्रहण होना था। इनमें से वन विभाग द्वारा 270 किसानों को परिचय पत्र जारी किया गया था,इनमें से कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा द्वारा परिचय पत्र धारी मात्र 138 किसानों एवं ऐसे 8 किसानों को जिन्हें कि वन विभाग की गलती से परिचय पत्र जारी नहीं किया गया था, को ही मत्स्याखेट के अधिकार का अधिग्रहण होने के फलस्वरूप मुआवजा प्रदान करने के आदेश दिये गये था, बाकी किसानों के प्रकरण विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिये गये थे।

वन विभाग पेंच टाईगर रिजर्व के उपस्थित अधिकारी श्री गुरवानी द्वारा अवगत कराया गया कि मत्स्याखेट के अधिकार का अधिग्रहण करने के फलस्वरूप मुआवजा प्रदान करने हेतु प्रकरण कलेक्टर छिन्दवाडा को प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय कलेक्टर छिंदवाडा द्वारा जो आदेश पारित किया गया था और उसमें जो मुआवजा राशि वितरण हेतु मांगी गई थी वह वन विभाग द्वारा कलेक्टर छिन्दवाडा को प्रदान कर दी गई थी जिसका वितरण भी राजस्व विभाग के नियमानुसार किया गया था। कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वह प्रस्तुत किया गया जो कि **परिशिष्ट अ पर संलग्न** है। आदेश में विस्तार से विवरण दिया गया है जो कि लगभग स्पष्ट है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

3. विस्थापित किसान एवं आवेदकों का अनुरोध है कि वे 138 एवं 8 व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने से सहमत नहीं हैं। प्रभारी अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा सूचित किया कि तत्कालीन समय में जो मुआवजा की फाईल बनी होगी उसमें दावा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज होगें। अतएव निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई में उक्त मुआवजे की नस्ती के आधार पर प्रत्येक प्रकरण की स्थिति प्रस्तुत की जावे।

तोतलाडोह बॉध निर्मित होने के उपरांत तथा पेंच टाईगर रिजर्व एवं मछली वन्यजीव घोषित होने तक जबकि विस्थापितों को मत्स्याखेट की अनुमति प्राप्त थी, उस कार्यकाल में समिति के सदस्यों द्वारा मछली पकड़कर मत्स्य विभाग को विपणन के लिये दी गई थी जिसके दस्तावेजी सबूत आवेदकों के पास हैं, इस मछली की बिक्री की राशि की रायल्टी की पात्रता मत्स्याखेटकों को थी जो कि उन्हें आज तक नहीं दी गई और उसका कोई नियमानुकूल दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का परीक्षण बिन्दु कमांक तीन

आवेदकों के अनुसार तोतलाडोह बॉध से समिति के सदस्यों द्वारा मछली पकड़कर मत्स्य विभाग को विपणन के लिये दी गई थी जिसकी राशि उन्हें नहीं मिली है मात्र जाल और नाव के लिये कुछ राशि दी गई थी।

इस संबंध में वन विभाग के अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि उनके विभाग द्वारा कभी भी मछली का क्रय मछुआरों से नहीं किया गया है, यह कार्य वन विभाग के अंतर्गत आता ही नहीं है।

मत्स्य विभाग के उपस्थित अधिकारी श्री रवि बघेल द्वारा तत्कालीन समय की व्यवस्था से अवगत कराया गया कि उस समय समितियों के सदस्यों द्वारा मछली पकड़ी जाती थी और उस मछली की बाजार भाव के हिसाब से केवल विभाग द्वारा रायल्टी ली जाकर शासन के कोषालय में जमा की जाती थी और मछली बेचकर उसका मूल्य प्राप्त करने का कार्य मछुआ स्वंय करते थे इसलिये उनके विभाग द्वारा किसी प्रकार की राशि मछुआरों को देय नहीं है। आवेदकों द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया।

प्रकरण का अन्य बिन्दु – मछुआरों को वैकल्पिक रोजगार के संबंध में

विस्थापितों के रोजगार के लियेशासन के संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही करनी थी जो कि नहीं की गई, विस्थापितों को अन्य जलाशयों में मत्स्याखेट के लिये तालाब बॉध उपलब्ध कराने चाहिए थे वह नहीं कराये गये।

इस संबंध में सभी विभागों द्वारा चिंता प्रकट की गई औरसहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर मछुआरों के लिये वैकल्पिक रोजगार पर विचार विमर्श किया गया। मछली विकभाग के अधिकारी द्वारा अश्वासन दिया गया कि यदि आवेदक सहमत हों तो माचागोरा बॉध में इन्हें मत्स्याखेट का पट्टा दिलाया जा सकता है जिसके लिये उनके द्वारा तीन दिवस में मत्स्यसंघ जिसका कार्यालय जबलपुर में हैं और यह कार्य उनके कार्यक्षेत्र में आता है उनके साथ मछुआरों की बैठक में उनसे चर्चा करवाकर रोजगार का इंतजाम किया जा सकता है। तत्संबंध में तीन दिवस में कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये। सभी संबंधित पक्ष निर्देशानुसार एवं सुनवाई में दिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi